न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :- 84/2022
राजस्व प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. विशनसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी

प्रार्थी..........

बनाम

1. गुमानसिंह पुत्र रायसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी

अप्रार्थीगण..

उपस्थितः-

1. श्री पर्वतसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थी की और से
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता अप्रार्थी की और से

निर्णय

दिनांकः- 03.01.2024

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी ने एक नियमति राजस्व वाद खातेदारी अधिकारों के हिस्से की घोषणा एवं जारी करवाने स्थाई निषेधाज्ञा के लिए अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय हाजा में पेश कर दिया है प्रार्थी के वाद के साथ प्रस्तुत दस्जावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्ट्या साबित है एवं प्रार्थी को वाद में सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। सरहद मौजा ग्राम रोला तहसील बाप मे खेत खसरा नम्बर 53 रकबा 1.3193 हैक्टेयर की स्थित है। चालू जमाबंदी की प्रमाणित प्रति सम्वत 2078-2081 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की पीढियो से कदीमी काश्त भूमि है, वक्त भू-प्रबन्ध वादग्रस्त भूमि सांगसिंह पुत्र विजेसिंह, जुगतसिंह, गुमानसिंह, उम्मेदसिंह पिसरान रायसिंह 1/3 हिस्सा, सांगसिंह वल्द दलसिंह 1/3 हिस्सा, आम्बसिंह, कल्याणसिंह, पदमसिंह, अमानसिंह पिसरान जवाहरसिंह 1/3 हिस्सा कौम राजपूत साकिन देह हिस्सा जागीदार दर्ज अभिलेख की गई कदिमी पैतृक भूमि में प्रार्थी को जन्म से ही [illegible] हक [illegible] होने से प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि 1/7 हिस्सा है, प्रार्थी कदीमी [illegible] 1/7 हिस्सा खातेदारी अधिकारों के हिस्से की घोषणा करवाने का [illegible] है। प्रार्थी व उसके भाईयों के परिवा अलग हो चुके है और वादग्रस्त भूमि में अलग-अलग काश्त करते है प्राकृतिक पैदावार घास पाला का अलग-अलग उपभोग उपयोग करते है, अप्रार्थी के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:46 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि खातेदारी के राजस्व अभिलेख में अंकित होने का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि विक्रय करने पर आमादा है अप्रार्थी ने दिनांक 03.04.2022 को अजनबी व्यक्तियों को एक वाहन में वादग्रस्त भूमि पर लाकर भूमि की मौके पर सिमाए बताते हुए विक्रय हेतु प्रस्तावित की। प्रार्थी ने अपने पिता अप्रार्थी से अजनबी व्यक्तियों को वादग्रस्त भूमि मौका पर बताने का करण पूछा तो अप्रार्थी ने धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि मेरे खातेदारी में दर्ज है और में इस भूमि को विक्रय करूगा और तुम्हे कब्जा से बेदखल करूगा। अप्रार्थी वादग्रस्त पैतृक भूमि को विक्रय करने पर आमादा है अप्रार्थी पैतृक भूमि के जन्म से प्राप्त हिस्से सहित भूमि को विक्रय करने मे सफल हो जाते है तो मुकदमेंबाजी होगी और कानूनी कार्यवाहियां लम्बी चलने से प्रार्थी को आर्थिक एवं मानसिक नुकसान होगा और प्रार्थी के जायज हकूको पर कुठराघात होगा, तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों में नहीं आंका जा सकता है प्रार्थी दावेदार है तथा अप्रार्थी के विरूद्ध जारी करवाने का हकदार है। प्रार्थी ने अपने पैतृक काश्त भूमि में हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने और स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के लिये सक्षम न्यायालय में अप्रार्थी के विरूद्ध वाद पेश करने के लिये कहा तो टालमटोल का जवाब दिया। प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि में अप्रार्थी कोई दखलत अंदाजी नही करे और न किसी अन्य से करवाये तथा भूमि का विक्रय, हस्तान्तरण नहीं करे, राजस्व रेकर्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय की जारी की गयी कि अप्रार्थी राजस्व ग्राम रोला पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप के खसरा नंबर 53 रकबा 1.3193 हैक्टेयर भूमि में मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी उपस्थित आये तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से है-

प्रार्थी ने अदालत हाजा में एक दावा बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषण व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अवश्य पेश किया है लेकिन उक्त वाद के साथ [illegible] दस्तावेजात एंव वाद में वर्णित तथ्यों तथा उक्त भूमि पैतृक सम्पति [illegible] के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया जाता है। ग्राम रोला [illegible] खसरा नम्बर 53 रकबा 1.3193 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि अप्रार्थी की एकल खा[illegible]री की भूमि है जो वक्त सेटलमेंट में अप्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई थी। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:46 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट में अप्रार्थी एंव अन्य खातेदारान के नाम दर्ज थी जो भूमि अप्रार्थी की स्वअर्जित भूमि है। जिसमें प्रार्थी का कानूनी कोई हक व हिस्सा नहीं है न ही प्रार्थी उक्त स्वअर्जित भूमि में किसी प्रकार की कोई खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का हक्दार ही है। उक्त भूमि अप्रार्थी की स्वअर्जित भूमि है जिसमें प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अप्रार्थी उक्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार है। जो इन्द्राजात वक्त सेटलमेंट से ही चले आ रहे है। रेकर्डेड खातेदार को उसके नाम दर्ज भूमि का हस्तान्तरण करने से नहीं रोका जा सकता है। उक्त भूमि के किसी भी हिस्से पर प्रार्थी का कोई कब्जा व काश्त नहीं है। उक्त वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी की स्वअर्जित भूमि है जो वक्त सेटलमेंट से ही अप्रार्थी के नाम दर्ज है। उक्त भूमि में प्रार्थी का कोई कानूनन हक व हिस्सा नहीं है न ही उक्त भूमि पैतृक सम्पति ही है उक्त भूमि को लेकर प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई कुठराघात हो रहा है और न ही किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति हो रही है तथा न ही प्रार्थी अप्रार्थी रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का हक्दार ही है। उक्त भूमि में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं है, न ही उक्त भूमि पैतृक सम्पति की श्रेणी में आती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत मिथ्या एवं कपोल कल्पित तथ्यों के आधार पर आधारित होने से प्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के हक्दार नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर बहस में बताया कि खेत खसरा नम्बर 53 वक्त भू-प्रबन्ध रकबा 8.02 बीघा भूमि ग्राम रोला में सांगसिंह पुत्र विजेसिंह, जुगतसिंह, गुमानसिंह, उम्मेदसिंह पिसरान रायसिंह 1/3 हिस्सा, सांगसिंह वल्द दलसिंह 1/3 हिस्सा, आम्बसिंह, कल्याणसिंह, पदमसिंह, अमानसिंह पिसरान जवाहरसिंह 1/3 हिस्सा कौम राजपूत देह हिस्सा जागीरदार की खुदकाश्त दर्ज अभिलेख हुई। भू-प्रबन्ध की इस पृष्ठि से भूमि कदिमी पैतृक होना साबित है। जागीदार की खुदकाश्त भूमि आज तक सभी न्यायिक निर्णयों में पैतृक होना मानी है इस संबंध में न्यायिक निर्णय

(1) RRD 1992 Page no. 450 भैरूसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

(a) Section 30B (a) Jagir land is ancestral property-The ceiling limit on such lands should be worked out after considering the notional shares of the sons and the widowed mother, if any after finding out whether they are dependant or not on the assessee. (para 6)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर अपील/एल.आर./114/2010/जोधपुर फूलसिंह बनाम हरीसिंह वगैरा. में पैरा (6) में वसीयत की गई भूमि में :- "वसीयत पैतृक सम्पति

उप. ... कलेक्टर
बाप (फलोदी)

की होने से अपीलार्थी मालिक नहीं हो सकता हैं। वसीयत की गई भूमि वसीयतकर्ता की सेल्फ एक्वायर्ड नहीं होकर पैतृक कृषि भूमि है, जिसमें दोनों बहनों एवं दोनों भाईयों का बराबर हिस्सा हैं।"

(2) यह है कि खसरा नम्बर 53 रकबा 8.02 बीघा भूमि ग्राम रोला तहसील बाप में स्थित जिसकी मूल दावा में अप्रार्थी संख्या 2 देवीसिंह द्वारा अक्टूम्बर 2021 में पिता गुमानसिंह को नशे की वस्तु, पदार्थ खिला पिलाकर पॉवर ले लिया, अप्रार्थी को प्रार्थी द्वारा पूछे जाने पर कहा कि मेरे को पता नहीं देवीसिंह ने कहा की ये आपके पेंशन राशि बढोतरी सम्बंधी कागजा है इन पर अगुष्ठ निशानी करो ताकि आपकी पेशन राशि बढ सकें। प्रार्थी के पिता गुमानसिंह वृद्ध अवस्था में है जिनकी वास्तविक उम्र 90 वर्ष से उपर है, जो उन्हे न तो कानो से सुनाई देता न ही आखो से दिखाई देता है। इस प्रकार कुटरचित छल कपट कार दुसरों के भी हिस्से की अचल सम्पति हड़पने के फिराक में है।

(3) प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को मूल राजस्व वाद के निर्णय तक कन्फर्म नहीं किया जायेगा तो प्रार्थी को भूमि से बलपूर्वक बेदखल कर दिया जायेगा तथा मौके पर लड़ाई झगड़ा होने से फोजदारी एंव राजस्व की अलग अलग कार्यवाहियां होगी तथा प्रार्थी को बेवजह हैरानी व परेशानी होगी तथा लम्बे समय तक स्थगन के अभाव में कार्यवाहियां के बढने से न्याय में विलम्ब होगा और समय, धन की बर्बादी होगी। प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश नियमित राजस्व वाद के अन्तिम निर्णय तक (कन्फर्म) स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवायी जाने का आदेश फरमावे।

बहस वकुलाय पक्षकारान् प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी।

पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, लिखित बहस इत्यादि का अवलोकन किया गया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि विवादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:46 IST
Reason: SelfAttested

उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2078-81 के अनुसार अप्रार्थी गुमानसिंह पुत्र रामसिंह वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित काश्तकार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र/लिखित बहस में अकंन किया है कि वादग्रस्त भूमि वक्त भू-प्रबन्ध अप्रार्थी के नाम दर्ज हुई अतः वादग्रसत भूमि पैतृक होना साबित है। लेकिन इस तथ्य एंव उक्त भूमि में प्रार्थी का हक हिस्सा है या नहीं का निर्धारण न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,92ए में होना है। चूंकि वर्तमान राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी अभिलिखित काश्तकार है।

अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2078-81 के अनुसार अप्रार्थी गुमानसिंह पुत्र रामसिंह वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित काश्तकार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र/लिखित बहस में अकंन किया है कि वादग्रस्त भूमि वक्त भू-प्रबन्ध अप्रार्थी के नाम दर्ज हुई अतः वादग्रसत भूमि पैतृक होना साबित है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी जारी की जाती है तो अप्रार्थी अपने प्राथमिक अधिकारों यथा आराजी के उपयोग-उपभोग, बैंक ऋण और बेचान आदि सुविधाओं से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 88 [illegible] काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुवे है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 21.04.2022 को खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:46 IST
Reason: SelfAttested